	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राजस्व आवेदन संख्या 30/2021 अनवान तहसीलदार बाड़मेर बनाम राजस्थान सरकार	
29.10.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रकरण मे तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना मे सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप से चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप से दर्ज नही है, को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक 1316 दिनांक 11.08.2020 द्वारा मौजा चूली पटवार मण्डल चूली में स्थायी रास्ता जो NH68 सज्जनसिंह की ढ़ाणी तक निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है:-	

क्र. स.	नाम खातेदार	ख.न.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई-चौड़ाई (फीट में)	रास्तें में प्रभावित रकबा (बीघा में)	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	झाड झखाड वाले वन (चारागाह हेतु)	87/16	2766.17	600 x 30 फीट	01.01 बीघा	गै मु औरण

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार का कथन है कि मौजा चूली पटवार मण्डल चूली तहसील बाड़मेर में NH68 से सज्जनसिंह की ढ़ाणी तक जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल 01.01 बीघा है। उक्त रास्ता सरकारी भूमि में से होकर निकलता है। वर्तमान में उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज नही है, परन्तु मौके पर स्थाई रास्ता है, जो आवेदन के संलग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है। लिहाजा उक्त मार्ग को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली संलग्न राजस्व अभिलेख एवं नक्शा का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे दर्ज करने का निवेदन किया है। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सरकारी

(रोहित चौहान)
बण्ड अधिकारी, बाड़मेर

भूमि दर्ज है। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि निम्नांकित भूमि राजकीय भूमि है, जिस पर स्थाई रास्ता है, परन्तु उक्त स्थाई रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में अंकन नही हो पाया है, जिसे रास्ते के रूप में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है। सरपंच ग्राम पंचायत चूली द्वारा उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड मे गै.मु. रास्ता अंकन करने हेतु सहमती पत्र दिया है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर का आवेदन स्वीकार किया जाकर निम्नांकित भूमि को सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है रास्ते के रूप अंकित करने के आदेश दिये जाते है:-

क्र. स.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई-चौडाई (फीट में)	रास्तें में प्रभावित रकबा (बीघा में)	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	झाड झखाड वाले वन (चारागाह हेतु)	87/16	2766.17	600 X 30 फीट	01.01 बीघा	गै.मु. औरण

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। नक्शा में तरमीम करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर